



**थाना स्योहारा पुलिस द्वारा पुलिस कार्यवाही में वन्य जीव का शिकार करते 05 शातिर शिकारियों को अवैध शस्त्र व 30 किग्रा रोज (माहे) के मांस सहित किया गिरफ्तार ।**

पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 11.06.2021 को प्रातः करीब 03.45 बजे थाना स्योहारा पुलिस द्वारा थाना स्योहारा क्षेत्रान्तर्गत जंगल क्षेत्र हसनपुर



पालकी में वन्य जीव का शिकार करने वाले अभियुक्तगण की घेराबंदी की गयी तो अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने कि नियत से फायर किया गया । पुलिस द्वारा अपना बचाव करते हुये पुलिस कार्यवाही में 1- मोईनुद्दीन पुत्र इस्लामुद्दीन नि0 मौ0 मंसूर सराय कस्बा व थाना स्योहारा बिजनौर 2- शाहिद पुत्र शाबिर नि0 मौ0 मंसूर सराय कस्बा व थाना स्योहारा बिजनौर 3- नूर आलम पुत्र इकरामुद्दीन नि0 ग्राम गोयली थाना चांदपुर

बिजनौर 4- अलाउद्दीन पुत्र अब्दुल रशीद नि0 महमूदपुर थाना स्योहारा बिजनौर 5- वकील पुत्र कलुआ नि0 बुढेरन थाना स्योहारा बिजनौर को अवैध शस्त्र व 30 किग्रा0 रोज (माहे) के मांस आदि सहित गिरफ्तार किया गया । इनके अन्य साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गये । इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 306/21 धारा 307/34 भादवि, मु0अ0सं0 307/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 308/21 धारा 9/31/51 वन्य जीव संरक्षण अधि0 पंजीकृत किये गये हैं ।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-**

1. मोईनुद्दीन पुत्र इस्लामुद्दीन नि0 मौ0 मंसूर सराय कस्बा व थाना स्योहारा बिजनौर
2. शाहिद पुत्र शाबिर नि0 मौ0 मंसूर सराय कस्बा व थाना स्योहारा बिजनौर
3. नूर आलम पुत्र इकरामुद्दीन नि0 ग्राम गोयली थाना चांदपुर बिजनौर
4. अलाउद्दीन पुत्र अब्दुल रशीद नि0 महमूदपुर थाना स्योहारा बिजनौर
5. वकील पुत्र कलुआ नि0 बुढेरन थाना स्योहारा बिजनौर

**अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण**

- 30 किग्रा0 रोज (माहे) का मांस
- एक अदद 12 बोर बन्दूक देशी नाजायज व एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर
- 04 अदद जिंदा कारतूस
- 03 छुरी
- 01 चापड
- 2 अदद बैटरी प्लास्टिक
- एक प्लास्टिक के बोरे मे खाल, मूंह, खुर आदि

**पंजीकृत अभियोगो का विवरण**

1. मु0अ0सं0 306/21 धारा 307/34 भादवि बनाम उपरोक्त सभी 8 नफर ।
2. मु0अ0सं0 307/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम वकील पुत्र कलवा ।
3. मु0अ0सं0 308/21 धारा 9/31/51 वन्य जीव संरक्षण अधि0 बनाम उपरोक्त सभी 8 नफर ।

**गिरफ्तार करने वाली टीम**

उ0नि0 श्री हरीश कुमार , उ0नि0 श्री ओमकार सिंह , है0का0 358 शाहनवाज खां , का0 1943 दीपक पुण्डीर , का0 1299 नितिन कुमार

थाना हीमपुर दीपा:- थाना हीमपुर दीपा पुलिस चेंकिंग के दौरान ग्राम गंगू नगला चौराहे पर अभियुक्त मेहताब पुत्र जहीर निवासी ग्राम गंगू नगला थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर के कब्जे से एक तमंचा देसी 315 बोर तथा एक कारतूस जिंदा 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाने पर मु0अ0सं0 63/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना नजीबाबाद:- थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त उज्जवल पुत्र संजीव सिंह नि0 ग्राम पैदा थाना को0शहर जनपद बिजनौर को देव पेट्रोल पम्प से चेंकिंग के दौरान एक अदद तमंचा 315 बोर मय 01 कारतूस जिन्दा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 297/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम उज्जवल उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



थाना शेरकोट:- थाना शेरकोट पुलिस द्वारा 3 नफर अभियुक्त 1. नौशाद पुत्र अब्दुल रसीद निवासी मोहल्ला शेखान कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर 2. इदरीश पुत्र सब्दर हुसैन निवासी मोहल्ला बंदूक चांद थाना धामपुर जनपद बिजनौर व 3.बबलू पुत्र गिरधारी निवासी ग्राम पिपरजोत थाना शेरकोट बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

